राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय महाविद्यालय चम्बा में कार्यरत प्राचार्य एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी की कार्य अवधि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	प्रचार्य का नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री मदन लाल शर्मा	1.4.2013 से 30.4.2013
2	श्री प्रेम कुमार गुप्ता (कार्यवाहक)	1.5.2013 से 30.6.2013
3	श्रीमती मन्जुला शर्मा (कार्यवाहक)	1.7.2013 से 23.6.2014
4	श्रीमती सुमन लता बेदी	24.6.2014 से लगातार

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	निवेशित राशियों पर निर्धारित अवधि के पश्चात परिपक्वता तिथि पर देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज दिए जाने बारे	6	2.53
2	सावधि में निवेशित राशियों को लेखाबद्ध न किया जाना	7	10.48
3	विलम्ब शुल्क की वसूली न करने बारे	11	0.14
4	मिश्रित निधि से किए गए अनियमित व्यय के बारे में	12	0.66
5	छात्रों से फीस वसूली के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितताओं के बारे में	13	विवरण पैरे में दिया गया है

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर की गई कार्रवाई की जांच वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा जिन का समायोजन किया जा सकता था, उनका समायोजन कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''क''** पर संलग्न है।

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय महाविद्यालय चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक (ऑडिट) द्वारा दिनांक 5.10.2015 से दिनांक 16.11.2015 के दौरान चम्बा में किया गया।

आय की विस्तृत जांच हेतु माह 6/2013 तथा 7/2014 एवं व्यय की जांच हेतु माह 3/2014 तथा 9/2014 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय महाविद्यालय चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क, महाविद्यालय की निधियों से वार्षिक वसूलियों के आधार पर ₹16,000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या एल0ए0डी0(ऑडिट)2015–16/127, दिनांक 9.10.2015 द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक लिमिटेड के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 884753, दिनांक 12.10.2015 द्वारा भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय महाविद्यालय चम्बा द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय के अवधि 4/2013 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ख''** में दर्शाई गई है।

5 निवेश

राजकीय महाविद्यालय चम्बा द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न छात्र निधियों से कुल ₹1,16,41,893 का विभिन्न सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ग''** पर दिया गया है।

6 निवेशित राशि पर परिपक्वता तिथि पर निर्धारित अवधि के पश्चात देय ब्याज की अपेक्षा ₹2,53,087 का कम ब्याज दिये जाने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से सम्बन्धित सावधि जमा योजनाओं में निवेशित राशियों पर परिपक्वता की तिथि पर, निर्धारित अवधि के पश्चात देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज दिया गया है, परिणामस्वरूप महाविद्यालय द्वारा ब्याज के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹2,53,087 कम प्राप्त की गई है, जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण को बताया गया कि बैंकों द्वारा परिपक्वता की तिथि पर आयकर की कटौती की गई है। यह कटौती केवल भारतीय स्टेट

बैंक व पंजाब नैशनल बैंक द्वारा ही की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक द्वारा निवेशित राशियों पर इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Bank	FDR No.	Principal Amount	Date of Intvestment	Period	Maturity Value Due	Maturity Value paid	Less Interest Given
1	S.B.I.	37,731	36,39,561	22.12.12	1 year	39,58,925	38,94,495	64,430
2	S.B.I.	37,731	38,94,495	22.12.13	1 year	42,57,008	41,83,835	73,173
3	S.B.I.	37,606	16,70,109	22.12.12	1 year	18,16,658	17,87,092	29,566
4	S.B.I.	37,606	17,87,092	22.12.13	1 year	19,53,440	19,19,864	33,576
5	P.N.B	71311014	2,15,966	27.2.13	6 month	2,36,069	2,31,992	4,077
6	P.N.B	71311014	2,31,992	16.9.13	1 year	2,53,587	2,48,094	5,493
7	P.N.B	71311014	2,48,094	16.9.14	1 year	2,71,187	2,65,467	5,720
8	P.N.B	5140	1,49,530	21.8.12	3 year	1,96,064	1,89,255	6,809
9	P.N.B	5168	53,451	21.8.12	3 year	70,085	66,552	3,533
10	P.N.B	5131	1,81,058	21.8.12	3 year	2,37,404	2,25,906	11,498
11	P.N.B	5159	53,451	21.8.12	3 year	70,085	66,550	3,535
12	Central Bank	3240326379	3,81,636	24.8.12	1-½ year	4,38,736	4,35,197	3,539
13	P.G.B.	54290	3,65,246	3.10.12	3 year	4,80,662	4,72,524	8,138
							योग	**2,53,087**

7 सावधि में निवेशित ₹10,48,649 को लेखाबद्ध न किया जाना

महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा योजनाओं में निवेशित विभिन्न निधियों की राशियों से सम्बन्धित अभिलेख व सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान पाया गया कि अभिलेख में निम्नविवरणानुसार 4 ऐसे प्रमाण पत्र पड़े थे, जिनके अन्तर्गत महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिनांक 23.11.1998 को राशियां निवेशित की गई थी।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	प्रमाण पत्र संख्या	निवेश की तिथि	राशि
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2173063683	23.11.1998	1,52,878
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2173063672	23.11.1998	13,747
3	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2173063694	23.11.1998	18,000
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	35321413368	23.11.1998	81,048

इन प्रमाण पत्रों में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि इन राशियों को परिपक्वता की तिथि को परिपक्व करवा लिया गया है अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LAD(Audit)2015-10/A.K.S/125, दिनांक 7.10.2015 द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से यह स्पष्ट करने का निवेदन किया गया कि यह राशियां किस निधि से सम्बन्धित थी तथा यह राशियां कब–कब परिपक्व हुई। महाविद्यालय द्वारा बैंकों से जांच करने पर पाया गया कि इन राशियों को कभी परिपक्व नहीं करवाया गया तथा गत 17 वर्षों से यह राशियां बैंकों मे निष्क्रीय

रूप से पड़ी हैं। तदानुसार महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण के सुझाव पर यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठा कर पिछली तिथि से इन्हें पुनः सक्रिय करवाया गया तथा इन्हें पुनः निवेशित किया गया। इस सन्दर्भ में महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण को यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 23.11.1998 को सैन्ट्रल बैंक चम्बा में निवेशित राशियां क्रमशः ₹1,52,878, ₹13,743 व ₹18,000 तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में निवेशित ₹81,048 को सम्बन्धित बैंकों में पुनः निवेशित कर दिया गया है। सैन्ट्रल बैंक में सावधि में क्रमशः ₹5,99,755, ₹55,629 तथा ₹69,270 दिनांक 16.10.2016 को परिपक्व होगी तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सावधी जमा में ₹3,20,995 दिनांक 19.7.2016 को परिपक्व होगी। इस प्रकार लेखाबद्ध किए बिना ही इतनी पुरानी व अधिक राशियों का पाया जाना एक चिन्तनीय विषय है। यदि यह मामला अंकेक्षण द्वारा नहीं उठाया जाता तो महाविद्यालय की इतनी ज्यादा राशियां बैंकों में ही कालातीत/निष्क्रीय समाप्त हो जाती। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अविलम्ब जाँच करवाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की लेखाबद्ध किए बिना कोई अन्य राशियां तो बैंक में नहीं पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की सम्पूर्ण राशियों को लेखाबद्ध करके की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 विश्वविद्यालय प्रभार के रूप में वसूली की गई राशि को मिश्रित निधि में स्थानान्तरित करने के बारे में

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय के पास दिनांक 31.3.2013 को विश्वविद्यालय शुल्क के रूप में वसूली गई ₹44,80,470 शेष जमा थी, जोकि दिनांक 31.3.2015 तक बढ़ कर ₹61,16,010 हो गई। नियमानुसार छात्रों से विश्वविद्यालय शुल्क के रूप में उसी राशि की वसूली की जा सकती है, जोकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है तथा विश्वविद्यालय को देय होती है। अतः इस प्रकार वसूली गई समस्त राशि विश्वविद्यालय के पास जमा हो जानी चाहिए थी, जबकि यह महाविद्यालय के पास जमा पड़ी है और इसमें बढ़ौतरी भी हो रही है। इस विषय के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LAD(Audit)2015-16/130, दिनांक 16.10.2015 द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके उतर में महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह राशियां उन छात्रों से सम्बन्धित है, जो कि महाविद्यालय छोड़ कर जा चुके हैं। अतः यह विश्वविद्यालय को देय नहीं हैं। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को यह भी अवगत करवाया गया कि गत दो वर्षों में उक्त राशि में लगभग ₹16.00 लाख की बढ़ौतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण विश्वविद्यालय द्वारा विकास निधि का सृजन करना है, जिसकी Non-IRDP छात्रों से ₹500 तथा IRDP छात्रों से ₹250 प्रति छात्र की दर पर वसूल की जाती है तथा विश्वविद्यालय द्वारा जब इस राशि की मांग की जाएगी तब इस राशि को जमा करवा

दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो राशि देय नहीं है, उसमें से महाविद्यालय द्वारा ₹40 लाख को छात्रों के कल्याण कार्यों पर भविष्य में प्रयोग करने हेतु मिश्रित निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक में सावधी जमा योजना के अन्तर्गत सावधी जमा रसीद नम्बर 17930307207 द्वारा दिनांक 13.11.2015 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए 7.5% ब्याज पर निवेश कर दिया गया है तथा दिनांक 13.11.2016 को परिपक्वता पर ₹43,08,543 महाविद्यालय को मिलेगी। अतः उक्त वसूली गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

9 रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख/स्टॉक के रख–रखाव के सन्दर्भ में

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख/स्टॉक का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर (खण्ड–3) के पृष्ठ–51 पर, रसीद पुस्तकों को जारी किया गया है, परन्तु जिस क्रमांक की रसीद पुस्तकें जारी की गई व जिसे जारी की गई, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त स्टॉक में कुल कितनी रसीद पुस्तकें थी तथा किस क्रमांक की थी, इत्यादि का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है, जिसकी अनुपलब्धता में कभी भी किसी रसीद पुस्तक के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा समस्त रसीद पुस्तकों की गणना करके इनका स्टॉक में इन्द्राज करने के उपरान्त ही तदानुसार ही इन्हें नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित स्टॉक का रख–रखाव निम्न वर्णित प्रपत्र पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके।

Date of Receipt of Receipt Books	No. of Receipt Books Received	Sr. No. of the Receipt Books	No. of Forms in the Receipt Book reffered in Col. No. 3
1	2	3	4
Signature of the Custodian of Receipt Book	Signature of the officer attesting the entry made in the stock register	Date of issue of receipt books for use	Sr. No. of the receipt books issued for use
5	6	7	8
Signature of the official to whom issued	Date of return of receipt books after use	Period during which the receipt book has been used	Signature of the official attesting the entry made in the stock register
9	10	11	12
Remarks			
13			

10 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में विभिन्न वस्तुओं के स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव में गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं। उदाहरण के रूप में वर्ष 2014 में यूथ फैस्टीवल ग्रुप–4 में भाग लेने हेतु जो सामान खरीदा गया उसके लिए एक नया स्टॉक रजिस्टर लगा दिया गया। वाऊचर संख्याः 33, माह 9/2014 में एम0ए0 हिन्दी कक्षा के कमरे की मुरम्मत व पंखे इत्यादि की खरीद पर ₹8683 का भुगतान किया गया तथा इस सामान के लिए एक नया स्टॉक रजिस्टर लगा दिया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LAD(Audit)2015-16/131, दिनांक 20.10.2015 द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया कि क्या यह स्टॉक रजिस्टर कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं तथा क्या कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख रखा गया है, किस विभाग को कितने स्टॉक रजिस्टर जारी किए गए, वर्तमान में प्रत्येक विभाग के पास कितने स्टॉक रजिस्टर हैं, स्टॉक में पडे समान का प्रत्यक्ष सत्यापन कब करवाया गया था तथा क्या विभिन्न विभागों द्वारा स्थाई व खपत होने वाली वस्तुओं के लिए अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर लगाए गए हैं। महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, अपितु अपने उतर में केवल यह आश्वासन दिया गया कि अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जाऐगी। इस प्रकार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में लापरवाही करना एक गम्भीर चूक है। इसमें सामान के कभी भी दुरूपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर अविलम्ब आन्तरिक जांच करके यह पता लगयाया जाए कि प्रत्येक विभाग के पास कितने स्टॉक रजिस्टर हैं, उनका पूर्ण अभिलेख तैयार किया जाए तथा भविष्य में महाविद्यालय प्राचार्य से स्वीकृति प्राप्त करके तथा समस्त निर्धारित औपचारिक्ताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही नए स्टॉक रजिस्टर खोले जाएं। इसके अतिरिक्त अविलम्ब स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन्न करवाकर व स्थाई और अस्थाई वस्तुओं के अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर लगा कर स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथ भविष्य में नियमानुसार वर्ष में कम से कम एक बार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन भी अनिवार्य करवाया जाए।

11 विलम्ब शुल्क ₹13,745 की वसूली न करने बारे

(क) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों को जारी की गई विवरणिका (Prospectus) के अनुसार महाविद्यालय में बिना विलम्ब शुल्क प्रवेश हेतु 11 जून से 20 जून की तिथि निर्धारित की गई थी तदोपरान्त ₹10 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश दिए जाने का प्रावधान दिया गया था। जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित रसीदों के अन्तर्गत नियमानुसार देय विलम्ब शुल्क की

वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पश्ट किए जाएं तथा विलम्ब शुल्क की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र० सं०	रसीद सं०	कुल रसीदों की संख्या	दिनांक	जितने दिन का विलम्ब शुल्क कम वसूला गया	विलम्ब शुल्क की राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1	039751 से 039755 तक	5 नं0	21.6.13	1 दिन	5 x 10 = 50	शून्य	50
2	0391663	1 नं0	22.6.13	2 दिन	2 x 10 = 20	शून्य	20
3	0391924	1 नं0	26.6.13	5 दिन	5 x 10 = 50	शून्य	50
4	437001 से 437009 तक	9 नं0	21.6.14	1 दिन	9 x 10 = 90	शून्य	90
5	437089 से 437100 तक	12 नं0	21.6.14	1 दिन	12 x 10 = 120	शून्य	120
6	437568 व 69	2 नं0	23.6.14	3 दिन	2 x 3 x 10 = 60	2 x 10 = 20	40
7	437579 से 437600 तक	22 नं0	24.6.14	4 दिन	22 x 4 x10 = 880	शून्य	880
8	551101	1 नं0	27.6.14	7 दिन	1 x 7 x 10 = 70	शून्य	70
9	551105 से 551117 तक	13 नं0	27.6.14	7 दिन	13 x 7 x 10 = 910	शून्य	910
10	551120 से 551123 तक	4 नं0	27.6.14	7 दिन	4 x 7 x 10 = 280	शून्य	280
11	551128 से 551130 तक	3 नं0	28.6.14	8 दिन	3 x 8 x 10 = 240	शून्य	240
12	551134	1 नं0	28.6.14	8 दिन	1 x 8 x 10 = 80	शून्य	80
13	551137 से 551140 तक	4 नं0	28.6.14	8 दिन	4 x 8 x 10 = 320	शून्य	320
14	551142	1 नं0	28.6.14	8 दिन	1 x 8 x 10 = 80	शून्य	80
15	551206 से 551223 तक	18 नं0	29.6.14	9 दिन	18 x 9 x 10 = 1620	शून्य	1620
16	551225 से 551231 तक	7 नं0	29.6.14	9 दिन	7 x 9 x 10 = 630	शून्य	630
17	551233 से 551238 तक	6 नं0	29.6.14	9 दिन	6 x 9 x10 = 540	शून्य	540
18	551245 से 551250 तक	6 नं0	29.6.14	9 दिन	6 x 9 x 10 = 540	शून्य	540
19	551351 से 551356 तक	7 नं0	29.6.14	9 दिन	7 x 9 x 10 = 630	शून्य	630
20	551358 व 59	2 नं0	29.6.14	9 दिन	2 x 9 x 10 = 180	शून्य	180
21	551364 व 65	2 नं0	29.6.14	9 दिन	2 x 9 x 10 = 180	शून्य	180
22	551367 से 551369 तक	3 नं0	29.6.14	9 दिन	3 x 9 x 10 = 270	शून्य	270
						कुल कम वसूल की गई राशि	**7820**

(ख) इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के नियमों के अनुसार महाविद्यालय में छात्रों को पढ़ने हेतु पुस्तकालय से 15 दिनों के लिए जारी की जाती है तथा यदि पुस्तकें 15 दिन में वापिस नहीं की जाती है तो ₹1 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित होती है। पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से कभी भी विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई हैं। अंकेक्षण अवधि में वसूले नहीं गए विलम्ब शुल्क में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है, जिसकी वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके इस तरह के वसूले नहीं गए पूर्ण विलम्ब शुल्क की गणना करके अपेक्षित वसूली की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

Sr. No.	Class/Sem	Roll No.	Accession No.	Issue Date	Return Date	Actual Return date	No. of days late return	Fine @ 1/-
1	MA 1st Pol Sc.	1480	19464	09-10-14	20-10-14	5-12-14	46	46
2	MA 1st English	1405	17513	6-9-14	21-9-14	7-10-14	16	16
3	MA 3rd Eco	59	19006	19-8-14	3-9-14	31-12-14	119	119
4	MA 3rd Eco	44	17480	9-9-14	24-9-14	13-10-14	19	19
5	MA 1st English	1422	18972	22-9-14	7-10-14	5-12-14	59	59
6	MA 1st Hindi	1486	19389	19-8-14	3-9-14	13-10-14	40	40
7	MA 1st Hindi	1481	19390	26-8-14	5-9-14	11-11-14	67	67
8	MA 3rd English	31	19024	28-8-14	12-9-14	7-10-14	25	25
9	MA 3rd English	33	17478	3-9-14	18-9-14	7-10-14	19	19
10	MA 3rd English	33	17442/1	3-9-14	18-9-14	7-10-14	19	19
11	MA 3rd English	37	19266	28-11-14	5-12-14	2-2-15	59	59
12	MA 4th Eco	56	14441	14-3-15	28-3-15	28-4-15	31	31
13	MA 4th Eco	56	17142	14-3-15	28-3-15	28-4-15	31	31
14	MA 4th Eco	57	14454	19-3-15	29-3-15	28-4-15	30	30
15	MA 4th Eco	57	14674	19-5-15	2-4-15	28-4-15	26	26
16	MA 4th Eco	57	14444	19-3-15	2-4-15	28-4-15	26	26
17	MA 4th Eco	50	17162	19-3-15	2-4-15	24-4-15	22	22
18	MA 4th Eco	50	14702	19-3-15	2-4-15	24-4-15	22	22
19	MA 4th Eco	44	17141	21-3-15	31-3-15	23-4-15	23	23
20	MA 4th Eco	44	14443	21-3-15	4-4-15	23-4-15	19	19

21	MA 4th Eco	44	18984	21-3-15	4-4-15	23-4-15	19	19
22	MA 4th Eco	48	14452	21-3-15	31-3-15	23-4-15	23	23
23	MA 4th Eco	48	17483	21-3-15	4-4-15	23-4-15	19	19
24	MA 4th Eco	48	17143	21-3-15	4-4-15	23-4-15	19	19
25	MA 4th Eco	44	17141	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
26	MA 4th Eco	44	14443	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
27	MA 4th Eco	44	18984	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
28	MA 4th Eco	48	14452	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
29	MA 4th Eco	48	17483	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
30	MA 4th Eco	48	17143	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
31	MA 4th Eco	49	14455	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
32	MA 4th Eco	49	14955	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
33	MA 4th Eco	49	14700	23-4-15	7-5-15	15-6-15	39	39
34	MA 3rd Eco	1425	17156	14-3-15	28-3-15	13-5-15	46	46
35	MA 3rd Eco	1425	14146	14-3-15	28-3-15	13-5-15	46	46
36	MA 2nd Hindi	1494	9577	5-5-15	8-5-15	11-6-15	34	34
37	MA 2nd Hindi	1494	16660	5-5-15	8-5-15	11-6-15	34	34
38	MA 2nd Hindi	1486	19403	5-5-15	8-5-15	22-6-15	45	45
39	MA 2nd English	1408	13429	23-3-15	6-4-15	22-4-15	16	16
40	MA 2nd English	1408	18163	22-4-15	6-5-15	12-6-15	37	37
41	MA 4th History	87	16410	24-3-15	7-4-15	24-4-15	17	17
42	BSC 2nd	4225	15410	9-9-13	23-9-13	6-3-14	164	164
43	BSC 2nd	4276	17075	3-12-13	17-12-13	31-12-13	14	14
44	BSC 2nd	4276	17088	3-12-13	17-12-13	31-12-13	14	14
45	BSC 2nd	4271	19556	4-12-13	18-12-13	6-3-14	78	78
46	BSC 2nd	4010	19562	7-12-13	21-12-13	1-2-14	42	42
47	BSC 2nd	4010	16856	7-12-13	21-12-13	1-2-14	42	42
48	BSC 2nd	4015	16852	12-12-13	26-12-13	6-2-14	42	42
49	BSC 2nd	4015	19557	12-12-13	26-12-13	6-2-14	42	42
50	BSC 2nd	4003	19553	12-12-13	26-12-13	6-3-14	70	70
51	BSC 2nd	4280	19555	13-12-13	27-12-13	4-2-14	39	39
52	BSC 2nd	4029	19560	19-12-13	30-12-13	12-2-14	44	44
53	BSC 2nd	4029	16860	19-12-13	30-12-13	12-2-14	44	44
54	BSC 2nd	4035	16857	20-12-13	30-12-13	12-2-14	44	44
55	BSC 2nd	4035	19564	26-12-13	31-12-13	12-2-14	43	43
56	BSC 2nd	4280	19563	26-12-13	31-12-13	4-2-14	35	35
57	BSC 3rd Sem	131420	19805	1-10-14	15-10-14	11-11-14	27	27
58	BSC 3rd Sem	131420	19837	1-10-14	15-10-14	11-11-14	27	27
59	BSC 3rd Sem	131708	16611	7-10-14	20-10-14	17-11-14	28	28
60	BSC 3rd Sem	131521	18743	14-10-14	20-10-14	8-11-14	19	19

61	BSC 3rd Sem	131521	18746	14-10-14	20-10-14	8-11-14	19	19
62	BSC 3rd Sem	131484	16839	17-10-14	20-10-14	22-11-14	33	33
63	BSC 3rd Sem	131755	16763	25-2-15	2-3-15	18-5-15	77	77
64	BSC 3rd Sem	131708	4169	21-3-15	4-4-15	5-5-15	31	31
65	BA 2nd	113	19308	12-8-13	26-8-13	6-3-14	192	192
66	BA 2nd	113	19305	12-8-13	26-8-13	6-3-14	192	192
67	BA 2nd	704	16301	9-9-13	23-9-13	3-10-13	10	10
68	BA 2nd	101	19303	20-9-13	4-10-13	6-3-14	153	153
69	BA 2nd	174	19255	10-12-13	24-12-13	5-2-14	43	43
70	BA 2nd	28	19511	17-12-13	30-12-13	13-2-14	45	45
71	BA 3rd Sem	130162	19268	5-9-14	20-9-14	9-10-14	19	19
72	BA 3rd Sem	130162	19268	9-10-14	20-10-14	5-11-14	16	16
73	BA 3rd Sem	130037	19263	9-10-14	20-10-14	7-11-14	18	18
74	BA 3rd Sem	130075	19322	13-3-15	27-3-15	21-4-15	25	25
75	BA 3rd Sem	130649	19241	14-3-15	28-3-15	15-6-15	79	79
76	BA 3rd Sem	130141	11564	17-3-15	31-3-15	17-4-15	17	17
77	B.Com IInd	3230	17434	20-7-13	3-8-13	26-8-13	23	23
78	B.Com IInd	3234	17126	20-7-13	3-8-13	13-9-13	41	41
79	B.Com IInd	3230	19924	2-12-13	16-12-13	11-2-14	57	57
80	B.Sc. V	131448	7632	16-9-13	30-9-13	15-5-14	227	227
81	B.Sc. V	131731	19275	28-9-13	12-10-13	11-11-13	30	30
82	B.Sc. V	131651	6685	18-11-13	2-12-13	4-4-14	123	123
83	B.Sc. V	131477	11009	26-2-14	12-3-14	29-3-14	17	17
84	B.Sc. V	131723	19546	15-3-14	29-3-14	28-4-14	30	30
85	B.Sc. V	131511	18728	15-3-14	29-3-14	19-4-14	21	21
86	B.Sc. V	131511	13831	15-3-14	29-3-14	19-4-14	21	21
87	B.Sc. I	151533	16304	8-9-15	22-9-15	26-10-15	34	34
88	BA. III	1105	14537	13-8-13	27-8-13	1-10-13	35	35
89	BA. III	1065	16896	9-9-13	23-9-13	10-2-14	140	140
90	BA. III	1566	14998	13-12-13	27-12-13	5-2-14	40	40
91	BA. III	1549	19330	17-12-13	30-12-13	6-3-14	66	66
92	BA. III	1538	18003	24-12-13	31-12-13	4-2-14	35	35
93	BA. III	1632	19329	24-12-13	31-12-13	3-2-14	34	34
94	BA. III	1632	19257	24-12-13	31-12-13	3-2-14	34	34
95	BA. III	20	18835	26-8-14	10-9-14	30-9-14	20	20
96	BA. III	113	19318	1-9-14	16-9-14	10-10-14	24	24
97	BA. III	64	19321	15-10-14	20-10-14	10-11-14	21	21
98	BA. III	174	19325	7-10-14	20-10-14	7-11-14	18	18
99	BA. III	87	19320	9-10-14	20-10-14	10-11-14	21	21
100	BA. III	64	19251	15-10-14	20-10-14	10-11-14	21	21
101	BA. III	30	19334	16-10-14	20-10-14	13-11-14	24	24
102	BA. III	30	19250	16-10-14	20-10-14	15-11-14	26	26
103	BA. III	686	19258	16-10-14	20-10-14	10-11-14	21	21

104	BA. III	107	19519	28-11-14	12-12-14	27-2-15	77	77
105	BA. III	30	19330	6-12-14	20-12-14	24-2-15	66	66
106	BA. III	33	19324	8-12-14	22-12-14	19-2-15	59	59
107	BA. III	174	17403	9-12-14	23-12-14	17-3-15	84	84
108	BA. III	113	19322	11-12-14	25-12-14	13-3-15	78	78
109	BA. V	130110	19488	22-8-15	5-9-15	30-9-15	25	25
110	BA 1st Sem	130079	16752	2-8-13	16-8-13	21-9-13	36	36
111	BA 1st Sem	130079	19267	2-8-13	16-8-13	21-9-13	36	36
112	BA 1st Sem	130570	17417	3-8-13	17-8-13	9-5-14	265	265
113	BA 1st Sem	130123	16753	19-8-13	2-9-13	9-10-13	37	37
114	BA 1st Sem	130580	18941	13-9-13	27-9-13	20-5-14	235	235
115	BA 1st Sem	130578	19381	3-12-13	17-12-13	21-4-14	125	125
116	BA 1st Sem	130162	19301	11-2-14	25-2-14	19-3-14	22	22
117	BA 1st Sem	140574	19283	28-8-14	9-9-14	19-5-15	252	252
118	BA 1st Sem	140087	19246	13-3-15	27-3-15	17-4-15	21	21
119	BA 1st Sem	140317	17413	17-4-15	1-5-15	22-6-15	52	52
							Total	**5925**

12 मिश्रित निधि से ₹65,893 का अनियमित व्यय करने के बारे में

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नविवरणानुसार मिश्रित निधि से कार्यालय के विद्युत प्रभार बिलों, जल आपूर्ति बिलों, तथा दूरभाष बिलों का भुगतान किया गया है, जोकि छात्र निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इन भुगतानों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके, इसे वापिस निधि में जमा करवाया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र०सं०	वाऊचर संख्या	भुगतान का विवरण	राशि
1	816 माह 3/2014	पानी प्रभार बिल	1,581
2	817 माह 3/2014	विद्युत प्रभार बिल	13,384
3	36 माह 9/2014	विद्युत प्रभार बिल	9,637
4	37 माह 9/2014	दूरभाष बिल	3,947
5	805 माह 1/2014	विद्युत प्रभार बिल	14,741
6	811 माह 2/2014	विद्युत प्रभार बिल	13,377
7	807 माह 2/2014	जल प्रभार	1,920
8	806 माह 1/2014	दूरभाष बिल	7,306
		योग	**65,893**

13 फीस की वसूली के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितताओं के बारे में

(क) अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा फीस की वसूली का दैनिक वसूली रजिस्टर में प्रतिदिन क्रमानुसार इन्द्राज न करके अलग–अलग इन्द्राज किया गया है। उदाहरण

के रूप में वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में फीस की वसूली से सम्बन्धित रजिस्टरों में किए गए कुछ इन्द्राज का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	क्र०सं०	फीस वसूली पृष्ठ संख्या	पृष्ठ पर जिस दिन की फीस वसूली का इन्द्राज लिया गया
2013–14	1	120 से 137	16.6.2013 से 22.6.2013
2013–14	2	137 से 141	15.6.2013 से 17.6.2013
2014–15	1	48	23.6.2014
	2	49 से 50	21.6.2014
	3	55	28.6.2014
	4	56 व 58	23.6.2014
	5	60	21.6.2014
	6	66	30.6.2014
	7	74 व 75	18.6.2014 व 19.6.2014

अतः प्रतिदिन के क्रमानुसार इन्द्राज न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में जिस दिन फीस वसूली की जाती है, उसका उसी दिन व क्रमानुसार ही इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्रवाई को आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त छात्रों से शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि रसीद पुस्तकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया गया है। उदाहरण के रूप में रसीद संख्या 391901 से 391950 के अन्तर्गत दिनांक 24.6.2013 को, रसीद संख्या 391801 से 391850 के अन्तर्गत दिनांक 26.6.2013 को तथा रसीद संख्याः 393951 से 394000 के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2013 को छात्रों से शुल्क वसूली की गई। अतः रसीद पुस्तकों के अन्तर्गत उनके क्रमानुसार वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में रसीद पुस्तकों को क्रमानुसार ही प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की चूक/अनियमितता को नकारा जा सके, क्योंकि रसीद पुस्तकें एक अत्यन्त आवश्यक व महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा इसका अव्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने पर कभी भी किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है।

(ग) अभिलेख की जांच में पाया गया कि छात्रों से वसूली गई राशि को, वसूली के उपरान्त अगले दिन सम्बन्धित खातों में जमा न करवा कर इक्ट्ठे 10–12 दिन के बाद सम्बन्धित खातों में जमा करवाया गया है। उदाहरण के रूप में दिनांक 12.6.2013 से 26.6.2013 के दौरान वसूली गई ₹1,90,296 को 2.7.2013 को सम्बन्धित खातों में जमा करवाया गया था तथा फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 60 से 66 पर किए इन्द्राज के अनुसार दिनांक 21.6.2014 से 30.6.2014 के दौरान वसूली की गई ₹2,16,206 को दिनांक 5.7.2014 को, पृष्ठ 60 से 73 पर किए गए इन्द्राज के अनुसार दिनांक 30.6.2014 से 20.6.2014 के मध्य की गई वसूली ₹1,62,621 को दिनांक 7.7.2014 को तथा पृष्ठ 74

से 80 पर किए गए इन्द्राज के अनुसार दिनांक 18.6.2014 से 28.6.2014 के दौरान वसूली की गई ₹1,90,260 को दिनाक 8.7.2014 को सम्बन्धित खातों में जमा करवाया गया। अतः वसूली गई राशि को वसूली के उपरान्त तत्काल सम्बन्धित खातों में जमा न करवाया जाना एक गम्भीर चूक है व वसूली गई राशि का अस्थाई दुरूपयोग है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस चूक हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में वसूली के पश्चात राशि को अविलम्ब सम्बन्धित खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) रसीद संख्याः 437132, दिनांक 24.6.2014 के अन्तर्गत श्री अरूण शर्मा, रोल नम्बर 140188 से ₹1195 की वसूली की गई, परन्तु फीस वसूली रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 64 पर केवल ₹895 का इन्द्राज करके इसे सम्बन्धित निधियों में जमा करवाया गया तथा शेष ₹300 जमा नहीं करवाई गई। इसी प्रकार रसीद संख्याः 747736 के अन्तर्गत श्रीमती कीर्ति कक्षा बी0ए0 तृतीय वर्ष से वसूली की गई ₹909 के स्थान पर केवल ₹609 ही जमा करवाई गई। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए कम जमा करवाई गई कुल ₹300+₹300=₹600 को सम्बन्धित निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ड़) श्री नवीन कुमार, कक्षा बी0ए0 तृतीय वर्ष, रोल नम्बर 122 से रसीद संख्याः 437067 के अन्तर्गत विभिन्न निधियों/शुल्क की वसूली करते हुए शिक्षा शुल्क की अवधि 6/2014 से 11/2014 की ₹300 की वसूली नहीं की गई, जिसे वसूल करके अपेक्षित राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(च) अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा फीस एवं निधि की वसूली हेतु मांग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र के दौरान देय फीस व निधि की राशि की वसूली कर ली गई है अथवा नहीं? अतः उपरोक्त अभिलेख का अनुरक्षण करके इसे आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र की देय फीस व निधि की राशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है।

14 मैं0 सर्वजीत ऐंटरप्राईज़ीज जालन्धर से स्मृति चिन्ह खरीदने से सम्बन्धित अनियमितताएं

महाविद्यालय द्वारा मैं0 सरबजीत एन्टरप्राईज़िज, जालन्धर (पंजाब) से उनके बिल संख्या 407, दिनांक 19.2.2014, ₹16,916 तथा बिल संख्याः 429 दिनांक 25.2.2014, ₹41,365 के अन्तर्गत समृति चिन्ह खरीदने पर उन्हें भुगतान किया गया। उपरोक्त बिलों की राशि के विरूद्ध ₹25,000 का अग्रधन के रूप में दिनांक 13.2.2014 को भुगतान किया गया था तथा शेष ₹33,281 का भुगतान माह

3/2014 में किया गया। महाविद्यालय द्वारा इस क्रय हेतु पत्र संख्याः 762 से 764, दिनांक 3.2.2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन फर्मों से निविदाऐं आमन्त्रित की गई थी, (1) मैं0 सरबजीत एन्टरप्राईज़िज, (2) मैं0 मिलियन स्पोर्ट व (3) मैं0 शिवास्तिक मैनुफैक्टरिंग कम्पनी। महाविद्यालय द्वारा निविदाऐं खोलने की तिथि 15.2.2014 को निर्धारित की गई थी, परन्तु महाविद्यालय द्वारा दिनांक 13.2.2014 को ही प्रधानाचार्य की अनुमति से मैं0 सरबजीत एन्टरप्राईज़िज को अग्रधन के रूप में ₹25,000 का भुगतान कर दिया गया, जोकि निविदाएं खोलने की निर्धारित तिथि 15.2.2014 से 2 दिन पहले की तिथि थी। उपरोक्त भुगतान से स्पष्ट प्रकट है कि मात्र औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु ही निविदायें आमन्त्रित की गई थी जबकि मैं0 सरबजीत एन्टरप्राईज़िज से सामान की आपूर्ति करने हेतु उन्हें पहले ही अग्रधन के रूप में भुगतान कर दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार के अनुचित लाभ व उच्च दरों पर खरीद को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है किए इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकरण में किसी प्रकार की उच्च दरों पर भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रय किए गए समृति चिन्हों के वितरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके स्मृति चिन्हों के वितरण को उचित ठहराया जाए।

15 राजकीय महाविद्यालय सोलन में आयोजित (ग्रुप–4) युवा महोत्सव के दौरान किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं

राजकीय महाविद्यालय सोलन में दिनांक 21.9.2014 से 24.9.2014 के दौरान आयोजित (ग्रुप–4) युवा महोत्सव में छात्रों के भाग लेने हेतु व्यय वहन करने के लिए महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्याः 35, माह 9/2014 के अन्तर्गत ₹76,000 अग्रधन के रूप में निकाली गई। उक्त राशि के समायोजन वाऊचरों की जांच मे निम्नलिखित अनियिमतताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए।

(क) इस अग्रधन की राशि के समायोजन हेतु जितने भी बिल वाऊचर प्रस्तुत किए गए, उनमें से किसी भी बिल को महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि प्रधानाचार्य की स्वीकृति बिना राशि का समायोजन किस प्रकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अब महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस सन्दर्भ में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके तथा बिल/वाऊचरों को पारित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु दिनांक 20.9.2014 को यात्रा की गई तदानुसार 17 छात्रों को ₹100 प्रति दिन प्रति छात्र की दर से (दिनांक 20.9.2014 से 25.9.2014 के लिए) 6 दिन की कुल

₹10,200 का दैनिक भत्ते के रूप में भुगतान किया गया। इस अग्रधन राशि में से दिनांक 20.9.2014 को सोलन में मैं0 अग्रवाल मैडिकल हॉल से प्राप्त बिल संख्याः 2861 के अन्तर्गत ₹245 की दवाईयां तथा मैं0 सहानी ट्रेडर्ज से उनके बिल संख्याः 10715 के अन्तर्गत ₹295 का अन्य सामान भी खरीदा गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.9.2014 को मैं0 रातरा कोस्मैटिक स्टोर चम्बा से ₹800, मैं0 राजस्थान हाऊस से ₹1200, म्यूज़िक कार्नर से ₹3000 तथा राजस्थान हाऊस से ₹1870 के सामान की खरीद भी की गई। उक्त के अतिरिक्त आयोजक संस्थान, राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय सोलन के पास रसीद संख्या 24, दिनांक 20.9.2014 के अन्तर्गत 17 छात्रों के 3 दिनो के बिस्तर के रूप में ₹60 प्रति दिन की दर पर कुल ₹3060 जमा करवाई गई जिसमें से ₹560 की दरी प्रभार की वापसी दर्शा कर शेष ₹2500 अगले दिन अर्थात दिनांक 21.9.2014 को जमा की गई दर्शाई गई है। अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया कि छात्रों के साथ श्री अमित कुमार (सहायक प्राध्यापक) तथा श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा अपने यात्रा भत्ता बिलों में दिनांक 20.9.2014 को रात्रि 8:00 बजे यात्रा आरम्भ की गई दर्शाई गई है तथा दिनांक 21.9.2014 को सुबह 9 बजे सोलन में पहुंच दर्शाई गई। अतः इस प्रकरण में यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में यात्रा कब की गई दिनांक 20.9.2014 की सुबह या रात को, क्योंकि उपरोक्त विवरणानुसार कुछ सामान दिनांक 20.9.2014 को चम्बा में खरीदने पर भुगतान किया है तथा सामान कुछ दिनांक 20.9.2014 को सोलन में खरीदने पर भुगतान किया गया दर्शाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त श्री अमित कुमार (सहायक प्राचार्य) तथा श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा दिनांक 20.9.2014 को रात्रि 8:00 बजे से यात्रा की गई तथा उन्हें उस दिन का भी दैनिक भत्ते का ₹84 तथा ₹84 का भुगतान किया गया है, जोकि नियमानुसार देय नहीं था। अतः उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) मैं0 अतुल जनरल स्टोर से उनके बिल संख्या 3206 के अन्तर्गत कुल ₹2236 का सामान खरीदा गया। इस क्रय में 8 घोतियां, ₹200 प्रति घोती की दर से ₹1600 में खरीदी गई, परन्तु स्टॉक रजिस्टर के पृश्ठ 12 पर इन्हें किराये पर लिया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) इस प्रतियोगिता में प्रयोग हेतु मैं0 सांझी राम हरबन्स लाल से उनके कैश मैमों संख्या शून्य, दिनांक 19.9.2014 के अन्तर्गत 3 प्लाई 6” x 3” साईज़ की ₹900 प्रति प्लाई की दर से तथा 2 नम्बर प्लाई 8x4 ₹1600 की दर से खरीद की गई, जिसकी निधि के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 11 पर स्टॉक प्रविष्टि ली गई। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 3 पर दिनांक 19.10.2013 को खरीदी गई प्लाई (3 नम्बर प्लाई साईज़ 6x4) तथा 2 नम्बर प्लाई साईज़ 3x4 व 1 प्लाई साईज 6x4) पहले ही

शेष पड़ी थी। अतः स्टॉक रजिस्टर में पहले से प्लाई उपलब्ध होने पर भी उक्त वर्णित खरीद के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ड़) युवा महोत्सव के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त किए गए प्रशिक्षक श्री हिमांशु को दिनांक 20.8.2014 से 24.9.2014 के लिए 35 दिनों के लिए प्रशिक्षण देने पर ₹170 प्रतिदिन की दर से ₹5950 व श्री राकेश कुमार प्रशिक्षक को दिनांक 16.8.2014 से 29.9.2014 के दौरान 39 दिनों के लिए प्रशिक्षण देने पर ₹170 प्रति दिन की दर पर ₹6630 का भुगतान किया गया, जबकि नियमों में मिश्रित निधि से इस प्रकार प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने व भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत इन्हें नियुक्त किया गया तथा जिन नियमों के अन्तर्गत इन्हें भुगतान किया गया उन्हें दर्शा कर किए गए भुगतानों को उचित ठहराया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 विज्ञान निधि से क्रय किए गए ₹39690 के 2 नम्बर इन्वेटर से सम्बन्धित अनियमितताएं

महाविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश ऐैग्रो इण्डस्ट्री से उन्के बिल संख्या 15143, दिनांक 28.2.2014 के अन्तर्गत विज्ञान निधि से वाऊचर संख्याः 97, माह 3/2014 के अन्तर्गत, 2 नम्बर पावर इन्वर्टर की खरीद करने पर निम्न विवरणानुसार ₹39,690 का भुगतान किया गया।

Power Inverters with Batteries and fitting	2 No. @ 18900 = 37800
	Vat = 1890
	Total = 39,690

इस क्रय में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई जिनका निपटारा कर, किए गए क्रय व भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(क) जांच में पाया गया कि इस क्रय से पूर्व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा न तो अपनी जरूरत का अनुमान लगाया गया और न ही इस निधि से क्रय करने हेतु क्रय समिति द्वारा संस्तुति दी गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व किए गए क्रय को उचित ठहराया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश ऐैग्रो इण्डस्ट्री द्वारा अपने बिल में इस पावर इन्वर्टर तथा बैटरी की स्पैसीफिकेशन अर्थात इन्वर्टर किस कम्पनी के हैं, बैटरी किस कम्पनी की है तथा इनकी क्या–क्या स्पैसीफिकेशन है, आपूर्ति किए गए सामान पर कितने फिटिंग चार्जिज लिए गए हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा प्राप्त सामान की स्पैसीफिकेशन की जांच करके किए गए भुगतान को उचित ठहराते हुए तदानुसार स्टॉक मे इनकी प्रविष्टि करके, की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) इन क्रय किए गए इन्वर्टर मे से एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है तथा दूसरा दरबार हॉल में लगाया गया है, जोकि विज्ञान निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः दरबार

हॉल में लगाये गए इन्वर्टर के मुल्य की ₹19,845 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके इसे निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 मिश्रित निधि से एस0सी0ए0 समारोह तथा वार्षिक पुरस्कार समारोह हेतु क्रय किए गए सामान के लिए किए गए भुगतान में अनियमितताएं

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय में दिनांक 28.2.2014 को सम्पन्न हुए एस0सी0ए0 समारोह तथा दिनांक 5.3.2014 को सम्पन्न हुए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के लिए, मिश्रित निधि से माह 3/2014 में अन्तर्गत निम्नलिखित सामान की खरीद के लिए भुगतान किया गया, जिसकी जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए।

वा0 सं0	आपूर्ति कर्त्ता का नाम	एस0सी0ए0 समारोह पर किए गए व्यय का विवरण	वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पर किए गए व्यय का विवरण
814	राजस्थान हाऊस	बिल सं0 3452, दिनांक 28.2.2014 6 कुर्ता पजामा किराये पर @140 = 840 6 चोला डोरा किराये पर @150 = 900	बिल सं0 3445, दिनांक 6.3.2014 6 पंजाबी ड्रैस @ 175 = 1150 4 लैंहगा @ 450 = 1800 **योग ₹2950**

(क) **(i)** उपरोक्त विवरणानुसार बिल 3445 के अन्तर्गत दिनांक 6.3.2014 को सामान की खरीद की गई तथा बिल 3452 के अन्तर्गत 8 दिन पहले दिनांक 28.2.2014 को सामान खरीद की गई दर्शाई गई, जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) बिल संख्या 3445 के अन्तर्गत खरीदी गई 6 पंजाबी ड्रैस व 4 लैंहगा की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उपरोक्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(iii) बिल संख्याः 3445 के अन्तर्गत 6 पंजाबी ड्रैस ₹175 प्रति ड्रैस की दर से खरीदने पर ₹1150 का भुगतान किया गया, जबकि यह भुगतान केवल ₹1050 का बनता था। इसी प्रकार बिल संख्या 3452 दिनांक 28.2.2014 के अन्तर्गत सामान किराये पर लेने पर भी वैट की ₹87 का भी भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार यह भुगतान देय नहीं था। अतः अधिक किए गए कुल भुगतान की ₹187 की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे वापिस निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) वाऊचर संख्याः 818 के अन्तर्गत मैं0 लैनिन ओडियो स्टूडियों चम्बा को ₹5900 का भुगतान उपरोक्त समारोह में पब्लिक सम्बोधन सिस्टम की आपूर्ति करने पर किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

(i) बिल संख्याः 360, दिनांक 28.2.2014 पी0ए0सिस्टम, एस0सी0ए0 समारोह हेतु ₹2950

(ii) बिल संख्या 356, दिनांक 5.3.2014 पी0ए0 सिस्टम वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हेतु लिए ₹2950

उपरोक्त विवरणानुसार बिल संख्याः 360 के अन्तर्गत दिनांक 28.2.2014 को तथा बिल संख्याः 356 के अन्तर्गत दिनांक 5.3.2014 का सामान की आपूर्ति किस प्रकार की गई, उसे स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त इस कार्य हेतु निविदाएं नहीं ली गई। अतः निविदाओं के बिना यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि सामान की आपूर्ति न्यूनतम दरों पर ली गई है।

(ग) वाऊचर संख्या 820 के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा कैन्टीन के बिल संख्या शून्य दिनांक 28.2.2014 के अन्तर्गत 137 रिफरैशमैन्ट का ₹15 प्रति रिफरैशमैन्ट की दर से ₹2055 का भुगतान किया गया, जिसमें कन्टीन मालिक द्वारा लिखा गया कि रिफरैशमैन्ट वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में दी गई, परन्तु महाविद्यालय की समिति द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि रिफरैशमैन्ट दिनांक 5.3.2014 को सम्पन्न हुए एस0सी0ए0 समारोह में ही वितरित की गई। इसी प्रकार कन्टीन के दूसरे बिल संख्या शून्य दिनांक 5.3.2014 के अनुसार एस0सी0ए0 समारोह के लिए 307 रिफरैशमैन्ट की आपूर्ति के लिए ₹15 प्रति रिफरैशमैन्ट की दर से कुल ₹4605 का भुगतान किया गया, जबकि महाविद्यालय समिति द्वारा यह आपूर्ति वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में की गई दर्शाई गई है। अतः कन्टीन के बिल व समिति के प्रमाण पत्र में विरोधाभास के कारण स्पष्ट किए जाऐं।

(घ) वाऊचर संख्याः 814 के अन्तर्गत मैं0 मिनू एन्टरप्राईज़िज को उनके बिल संख्याः 40, दिनांक 8.3.2014 के अन्तर्गत ₹2000 का भुगतान एस0सी0ए0 समारोह में विडियो फिल्म बनाने पर किया गया, जबकि वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह जोकि महाविद्यालय का एक मुख्य समारोह होता है, उसमें इस प्रकार की कोई फिल्म नहीं बनाई गई दर्शाई गई है। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत यह फिल्म बनाई गई उसे प्रस्तुत किया जाए तथा फिल्म की स्टॉक प्रविष्टि कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

18 विविध

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की की धारा 100 के अनुसार निर्धारित औपचारिक्ताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु छोटे–छोटे बिलों में खरीद पर पूर्ण रोक है व नियमों के विरूद्ध है, परन्तु महाविद्यालय द्वारा निर्धारित औपचारिक्ताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु छोटे–छोटे बिलों में सामान की खरीद की गई है तथा सामान की खरीद हेतु निविदायें भी आमन्त्रित नहीं की गई है।

क्र० सं०	वाऊचर संख्या	माह	आपूर्ति कर्त्ता का नाम	बिल व दिनांक	सामान का विवरण	राशि
1	813	3/2014	बरदतरा प्रिंटर्ज़	7708 दिनांक 1.3.14	300 आमन्त्रण पत्र	2415
				7705, दिनांक 1.3.14	महाविद्यालय की	2992

					वार्षिक रिपोर्ट की छपवाई 50 कॉपी	
2	819	3/2014	विकास जनरल स्टोर	25135, दिनांक 6.3.14	120 डब्बे चॉक दर ₹18 प्रति	2160
				25136, दिनांक 10.3.14	120 डब्बे चॉक दर ₹18 प्रति	2160

इस प्रकार की खरीद करने पर किसी प्रकार के अनुचित लाभ अथवा अधिक भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः छोटे–छोटे बिलों में खरीद करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन प्रकरणों में कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकार की खरीद पर अविलम्ब रोक लगाई जाए तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना करते हुए व कौडल औपचारिक्ताओं को पूर्ण करते हुए ही खरीद का किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त वाऊचर संख्याः 31 व 32 माह 9/2014 के अन्तर्गत श्री संतोश कुमार (सहायक प्राध्यापक) हिन्दी विभाग द्वारा एम0ए0 हिन्दी विभाग की कक्षा में पंखा, रंग–रोगन व अन्य मुरम्मत कराने पर मिश्रित निधि से ₹8683 व्यय किए गए। यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय की भवन निर्माण निधि से की प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

19 लघु आपति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्ष :– महाविद्यालय के लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)11(7)31/83–खण्ड–4–2542–254 दिनांकः07.05.2016 शिमला–09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चम्बा, तह0 व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2) निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
3) उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा) चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पैरा 1 में वर्णित परिशिष्ट–''क''

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित निपटारे हेतु शेष बकाया पैरों पर की गई कार्यवाही की जांच की गई। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(सी0डी0)	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9(बी)2, 4, 9, 10, 12, 13, 15 से 17, 19 से 21 व 23	अनिर्णीत
5	पैरा 9(बी)25	अनिर्णीत
6	पैरा 9(बी) 30 से 38 व 40	अनिर्णीत
7	पैरा 9(बी) 48 व 49	अनिर्णीत
8	पैरा 9(बी) 58	अनिर्णीत
9	पैरा 9(बी) 63	अनिर्णीत
10	पैरा 9(बी) 66	अनिर्णीत
11	पैरा 9(बी) 71	अनिर्णीत
12	पैरा 9(बी) 78, 79, 82 व 84	अनिर्णीत
13	पैरा 9(बी) 89	अनिर्णीत
14	पैरा 9(बी) 92 से 95	अनिर्णीत
15	पैरा 10(ए, बी, सी, ई, एफ व जी)	अनिर्णीत
16	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/92

1	पैरा 8(9)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(10)(1, 2, 3)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(12)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(14)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(19(क) से 21 व 22(1))	अनिर्णीत
6	पैरा 8(24 व 25)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ग से ड़)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(ख)(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 10(ड़ से च)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/98

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 4(1 से 3)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(11 से 13)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(15)	अनिर्णीत
9	पैरा 7(19)	अनिर्णीत
10	पैरा 7(26)	अनिर्णीत
11	पैरा 7(28 व 29)	अनिर्णीत
12	पैरा 9	अनिर्णीत
13	पैरा 12	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2002

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2008

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त हो चुका है)
2	पैरा 5(ख)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार जिसमें प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2009–10 की राशि छात्रों को वापिस कर दी गई है)
3	पैरा 5(ग)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
4	पैरा 5(घ)	निर्णीत	(दिनांक 23.10.2015 को प्रौस्पैक्ट फण्ड राशि 5,15,890) व कन्टीन की राशि ₹2,39,687 मिश्रित निधि में जमा करवा दी गई)
5	पैरा 5(ड़)	निर्णीत	(दिनांक 28.10.2015 को कुल राशि ₹50 लाख हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉ0 बैंक में सावधी जमा योजना में निवेश करने उपरान्त)
6	पैरा 5(च)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
7	पैरा 5(छ)	निर्णीत	(निवेश सम्बन्धित रजिस्टर के सत्यापन उपरान्त)
8	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(दिए गए उतर व रसीद के सत्यापन उपरान्त)
10	पैरा 7	निर्णीत	(दिए गए उतर व की गई कार्रवाई अनुसार)
11	पैरा 8	अनिर्णीत	
12	पैरा 9	निर्णीत	(दिए गए उतर व की गई कार्यवाही उपरान्त)

13	पैरा 10	निर्णीत	(रसीद संख्या 212549, दिनांक 28.10.2015 के अन्तर्गत ₹200 की वसूली उपरान्त)
14	पैरा 11	निर्णीत	(राशि ₹1,22,480 खेल निधि से निकाल कर दिनांक 28.10.2015 को मिश्रित निधि में जमा करवा दिए गए)
15	पैरा 12(क)	स्वतः निर्णीत	
16	पैरा 12(ख)	स्वतः निर्णीत	
17	पैरा 13	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्र सं, 5/96–97–एच0पी0यू/स्पोंट–(AGM) दिनांक 21.10.2010 द्वारा दी गई अनुमति अनुसार)
18	पैरा 14	अनिर्णीत	
19	पैरा 15	अनिर्णीत	
20	पैरा 16	अनिर्णीत	
21	पैरा 17	निर्णीत	(रसीद सं0 544086 दिनांक 5.11.2014 के अन्तर्गत ₹49,993, ₹5,51,906 दिनांक 1.9.2014 के अन्तर्गत ₹46,763 तथा रसीद सं0 423819, दिनांक 25.4.2015 के अन्तर्गत राशि ₹3,94,131 की प्रतिपूर्ति/वसूली उपरान्त)
22	पैरा 18	अनिर्णीत	
23	पैरा 19	अनिर्णीत	
24	पैरा 20	अनिर्णीत	